बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 197060 /   पटना, दिनांक 20/08/14

सं0सं0-ग्रा0वि0-06/सी0ए0-03-03/2013

प्रेषक,

एस0एम0 राजू, (भा0प्र0से0),
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार ।

विषय:- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित कार्यक्रम योजनाओं के अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के चयन के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 191709 दिनांक- 10.07.2014 एवं जिला विकास कार्यालय, कटिहार का पत्रांक- 1540/डी0आर0डी0ए0 दिनांक- 25.07.2014

महाशय,

पूर्व वर्ष 2012-13 में कटिहार जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित कार्यक्रमों / योजनाओं के अंकेक्षण का कार्य डी0पी0 चटर्जी एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया गया था । (सभी उप विकास आयुक्तों से) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य संबंधित feed back की माँग की गई थी। उप विकास आयुक्त, कटिहार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार के पत्रांक- 515 दिनांक- 2.03.2014 के माध्यम से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट डी0पी0 चटर्जी एण्ड कंपनी के द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य को संतोषजनक बताते हुए इनका नवीकरण करने की अनुशंसा के उपरान्त ही उन्हें वर्ष 2013-14 में कटिहार जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार में अंकेक्षण कार्य हेतु पुनः प्रतिनियुक्त किया गया है ।

राज्य स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मो का चयन किया जाना एक प्रशासनिक निर्णय है जिस पर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का भी अनुमोदन प्राप्त है ।

अध्यक्ष प्रबंध प्रर्षद के द्वारा वर्ष 2013-14 के प्रतिनियुक्त किये गये चार्टर्ड फर्म की नियुक्ति रोके जाने का कोई स्पष्ट कारण आपके पत्र से परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। जब अंकेक्षण कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रतिनियुक्ति किया जा चुका है व अंकेक्षण के लिए निर्धारित समय सीमा की अवधि समाप्त होने को है, ऐसी परिस्थिति में अंकेक्षक को नियुक्ति पत्र नहीं दिये जाने के कारण अंकेक्षण का कार्य निश्चित रूप से विलम्ब से समाप्त होगा जिसका सीधा असर विभिन्न विकास कार्यक्रमों / योजनाओं को केन्द्रांश के रूप में मिलने वाली राशि पर पड़ेगा । तथा वर्ष

के अंत समय में राशि मिलने पर उसका ससमय व्यय नहीं किया जा सकेंगा, फलस्वरूप आगामी वर्ष में राशि की कटौती संभव है ।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से अविलम्ब हस्तक्षेप करते हुए समस्या का निराकरण कर प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को नियुक्त करते हुए अंकेक्षण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर समाप्त कर प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0एम0 राजू)

सरकार के सचिव 19/8/14

ज्ञापांक 197060 / पटना, दिनांक 20/08/14

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
19/8/14